


कार्यालय आदेश

मण्डल के समस्त वृत्त/खण्ड कार्यालयों एवं लेखाधिकारी भुगतान (मुख्यालय) द्वारा संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2022-23 एवं बजट अनुमान वर्ष 2023-24 के प्रेषित प्रस्तावों का परीक्षण उपरान्त बजट राशि निर्धारित की गई थी जिसका संचालक मण्डल की बैठक में अनुमोदन किया जाना है। संचालक मण्डल की बैठक की तिथि निर्धारित नहीं होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा संचालक मण्डल की स्वीकृति की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित की गई राशि तक व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः बजट अनुमान वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित की गई राशि तक व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राज. आ. मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राज. आ. मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/ए.वी.एस.एल.सी., राज. आ. मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
4. लेखाधिकारी (भुगतान)/वसूली/स्टोर, राज. आ. मण्डल, जयपुर।
5. समस्त उप आवासन आयुक्त, राज. आ. मण्डल, जयपुर।
6. समस्त आवासीय अभियन्ता, राज. आ. मण्डल, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (एस.ए.), राज. आ. मण्डल, जयपुर को संबंधित के ई-मेल एवं बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


उप वित्तीय सलाहकार